

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
कमांक/भू.अ./2025/327

दिनांक 11/03/25

प्रार्थी :-

1. धुड़ी पत्नि चेनाराम
जाति मेघवाल निवासी रमजान की गफन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1. मनछाराम पुत्र सुजाराम 2. सुजाराम पुत्र सजनराम
जाति मेघवाल, निवासी तमाची की गफन
तहसील चौहटन 3. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 233/2024

दिनांक 04.03.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र भोजारिया के मौजा तमाची की गफन के खेत खसरा सं. 108/21 रकबा 2.2500 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।


आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



कमांक/भू.अ./2025/328 to 331

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी धुड़ी पत्नि चेनाराम
3. विप्रार्थीगण मनछाराम पुत्र सुजाराम
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ


उपखण्ड-अधिकारी
चौहटन

दिनांक

11/03/25


(कुसुमलाल धान)
उपखण्ड-अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड-अधिकारी
चौहटन